संख्या-418/2017/1807/22-2-2016-17(111)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयनारायण पुत्र श्री रामाधीन, निवासी-जनपद-हमीरपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयनारायण पुत्र श्री रामाधीन, निवासी-पतारा, थाना-कुरारा, जनपद-हमीरपुर का रहने वाला है। खण्डहर की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के कारण बन्दी ने तीन सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 30.01.1974 को प्रात: लगभग 10:00 बजे बन्दूक व तमन्चा से गोली मारकर भगवन्त सिंह की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-240ए/1975 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 324/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 29.04.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.12.1999 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया तथा 01 सहअभियुक्त मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पूर्व से लापता है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.07.2016 तक 16 वर्ष 05 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 09 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन सक्षम स्तर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अस्वीकृत किया गया।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जयनारायण (बन्दी संख्या-2397/2003) पुत्र श्री रामाधीन निवासी जनपद-हमीरपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-418/2017/1807(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-418/2017/1807/22-2-2016-17(111)/2016

दिनांक 13 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयनारायण पुत्र श्री रामाधीन, निवासी-पतारा, थाना-कुरारा, जनपद-हमीरपुर का रहने वाला है। खण्डहर की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के कारण बन्दी ने तीन सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 30.01.1974 को प्रात: लगभग 10:00 बजे बन्दूक व तमन्चा से गोली मारकर भगवन्त सिंह की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-240ए/1975 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 324/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 29.04.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.12.1999 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया तथा 01 सहअभियुक्त मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पूर्व से लापता है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.07.2016 तक 16 वर्ष 05 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 09 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन सक्षम स्तर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अस्वीकृत किया गया। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।